

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
हेरमुख V/S महनी

न
शुख
हुम

8/10
25

वहुलाम फरीदन उपो, वकील उद्यमपक्षाराम
की जुमा गया। पत्रावली का अपीलरन किया
गया। दया वादी अन्तिम ठिठी किया जाते
विस्तर निधि फंड से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। निधि की एक प्रति वादक्षी
04/24 अर्पनी गइली समान अमरचन्द का. में
भी शामिल की जावे। पत्रावली के मल शुभ
दौर कारित दफ्तर ही।

(दुर्गा प्रसाद मीना)

सहायक मजिस्ट्रेट

(फास्ट ट्रैक)

नगर (राजपुर)

हरमुख बनाम नहनी बगै.
नहनी बनाम अमरचन्द बगै.

----- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता श्री प्रतापसिंह गुर्जर वादीगण
2. अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गोयल प्रतिवादी संख्या 01

निर्णय

दिनांक:-08.10.2025

उक्त दोनो वादो मे पक्षकार एवं विवादित आराजी एवं चाहा गया अनुतोष एक समान है जिससे दोनो दावो का एक निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनो दावो मे शामिल रहेगी। विवादित आराजी खसरा नं0 616/0.16 बाके ग्राम बेरू तहसील नगर उभय पक्षकारान की सयुक्त खातेदारी की भुमि है। जिसके विभाजन के लिए दोनो पक्षो ने पृथक-पृथक वाद प्रस्तुत किये है। पूर्ववर्ती वाद संख्या 69/23 उनवानी हरमुख बनाम नहनी बगै. के साथ पश्चात्वर्ती वाद संख्या 04/24 उनवानी नहनी बनाम अमरचंद बगै. को दिनांक 28.04.2025 को समेकित किया जाकर वकील उभय पक्षकारान की सहमती के अनुसार दावा में प्राथमिक डिक्री पारित कर आदेश दिया कि- "वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा व कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार तैयार कर प्रस्तुत करें।"

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार नगर द्वारा वउनवानी प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्र क्रमांक/भू.अ./25/2521 दिनांक 15.07.2025 को न्यायालय हाजा को कुछ इस प्रकार से प्रेषित किये गए।

1. आराजी खसरा नं0 616/1/0.08 कित्ता 01 रकबा 0.08 है0 हरमुख पुत्र मदनलाल 1/4 हिस्सा, अमरचन्द पुत्र मदनलाल 1/4 हिस्सा, ऊषा, चमन, शकुन्तला पुत्रीयान घनश्याम, धारा, भीम पुत्रान घनश्याम बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/4, नहनी पुत्री मदनलाल हिस्सा 1/4 जाति माली खातेदार।
2. आराजी खसरा नं0 616/1/0.08 कित्ता 01 रकबा 0.08 है0 नहनी पत्नी यादराम जाति माली खातेदार।

प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्श कुछ इस प्रकार से है।

उ0

↑

↓

द0

616/1
616/2

प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा कुरेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया।

तहसीलदार नगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.07.2025 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-53 के नियम 18-21 के अन्तर्गत तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव को के पर उपस्थिति बाबत पक्षकारान को सूचित करते हुये उपस्थित पक्षकारान की उपस्थिति मे

ॐ

हरमुख बनाम नहनी बगै,
नहनी बनाम अमरचन्द बगै,

तैयार किये गये है। अत तहसीलदार नगर द्वारा प्रेषित कुर्रैजात प्रस्ताव नियमों के संदर्भ में प्रमाणिक व सही प्रतित होती है। जिसके अनुसार वादीगण रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है। अत दावा वादी अन्तिम डिकी किये जाने योग्य है।

:आदेश:

अत वाद वादी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 15 07.2025 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा नं0 616/0.16 बाके ग्राम बेरु तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी, खाते अलग-अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।


1. आराजी खसरा नं0 616/1/0.08 कित्ता 01 रकबा 0.08 है0 हरमुख पुत्र मदनलाल 1/4 हिस्सा, अमरचन्द पुत्र मदनलाल 1/4 हिस्सा, ऊषा, चमन, शकुन्तला पुत्रीयान घनश्याम, धारा, भीम पुत्रान घनश्याम बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/4, नहनी पुत्री मदनलाल हिस्सा 1/4 जाति माली खातेदार।
2. आराजी खसरा नं0 616/1/0.08 कित्ता 01 रकबा 0.08 है0 नहनी पत्नी यादराम जाति माली खातेदार।
नक्शे में तरमीम निम्नानुसार की जावे।

उ0

↑
↓
द0

616/1
616/2

इसी प्रकार पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय की एक-एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावे। निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)

हरमुख बनाम नहनी वगै.
नहनी बनाम अमरचन्द वगै.
अन्तिम डिकी व मुकदमे इब्तनाई
(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी - दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

(1)

मुकदमा नम्बर :-69/2023

दायरा दिनांक :-29.12.2023

हरमुख पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी ग्राम बेरू तहसील नगर जिला डीग।

-----वादी

बनाम

1. नहनी पत्नी यादराम जाति माली निवासी ग्राम बेरू तहसील नगर जिला डीग।
-----असल प्रतिवादी
2. अमरचंद पुत्र मदनलाल
3. नहनी पुत्री मदनलाल
जातियान माली निवासी ग्राम बेरू तहसील नगर जिला डीग।
4. ऊषा पुत्री घनश्याम
5. चमन पुत्री घनश्याम
6. भीम पुत्र घनश्याम
7. शकुंतला पुत्री घनश्याम
जातियान माली निवासी ग्राम बेरू तहसील नगर जिला डीग।
----- तरतीवी प्रतिवादीगण
8. तहसीलदार साहब तहसील नगर
9. उपपंजीयक नगर तहसील नगर
-----फोरमल प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(2)

मुकदमा संख्या :- 04/2024

तारीख दायरा:-07.02.2024

नहनी पत्नी यादराम जाति माली निवासी ग्राम बेरू तहसील नगर जिला डीग।

----वादीया

बनाम

1. अमरचंद पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी ग्राम बेरू तहसील नगर जिला डीग।
2. ऊषा पुत्री घनश्याम
3. चमन पुत्री घनश्याम
4. धारा पुत्र घनश्याम
जातियान माली निवासी ग्राम बीकरू तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. नहनी पुत्री मदनलाल जाति माली निवासी ग्राम बेरू तहसील नगर जिला डीग।
6. भीम पुत्र घनश्याम
7. शकुंतला पुत्री घनश्याम
जातियान माली निवासी ग्राम बीकरू तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. हरमुख पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी ग्राम बेरू तहसील नगर जिला डीग।



हरमुख बनाम नहनी बगै.
नहनी बनाम अमरचन्द बगै.

9. तहसीलदार साहब तहसील नगर जिला डीग।

----- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वारंते इनफिसाल कर्तई रु-ब-रु हमारे बहाजरी वादी श्री प्रतापसिंह गुर्जर अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री अनिल कुमार गोयल अभिभाषक मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 15.07.2025 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा नं० 616/0.16 बाके ग्राम बेरू तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी, खाते अलग-अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे इद्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।


1. आराजी खसरा नं० 616/1/0.08 कित्ता 01 रकबा 0.08 है० हरमुख पुत्र मदनलाल 1/4 हिस्सा, अमरचन्द पुत्र मदनलाल 1/4 हिस्सा, ऊषा, चमन, शकुन्तला पुत्रीयान घनश्याम, धारा, भीम पुत्रान घनश्याम बहिस्सा बराबर हिस्सा 1/4, नहनी पुत्री मदनलाल हिस्सा 1/4 जाति माली खातेदार।
2. आराजी खसरा नं० 616/1/0.08 कित्ता 01 रकबा 0.08 है० नहनी पत्नी यादराम जाति माली खातेदार।

नक्शे मे तरमीम निम्नानुसार की जावे।

उ०
↑
↓
द०

616/1
616/2

डिक्री बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.10.2025 को जारी की गयी।


(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)